सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 117/11 **निर्णय दिनांकः—3.04.2018**

1. आसूसिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत निवासी जांगलूँ तहसील नोखा जिला बीकानेर।(मृतक)

1/1. श्रीमती सूरज कंवर पत्नि आसूसिंह
1/2. अनारकंकवर
1/3 बसन्त कंवर
1/4 छेलकंवर
1/5 सुदेश कंवर
1/6 करणीसिंह
1/7 मनोहरकंवर
1/8 भानीसिंह
1/9 कुशालकंवर
1/10 जनककंवर

पुत्र/पुत्रियॉ आसूसिंह जाति राजपूत निवासी जांगलूँ तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. लक्ष्मीनारायण
2. छतु
3. कमला
4. पुष्पा
5. सुन्दर
6. छोटी

पुत्र/पुत्रियॉ सोहनलाल जाति महाजन महेश्वरी निवासीगण जांगलूँ तहसील नोखा जिला बीकानेर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 16—09—2011

उपस्थितः

1. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 16—09—2011 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट का दावा जरिये अबेटमेंट खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 951 तादादी 9.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 952 तादादी 0.38 हेक्टर, कुल तादादी 10.33 हेक्टर वाके रोही जांगलू के बाबत् धोषणा एवं चिर निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। वादगत् भूमि सवंत् 2010 से पूर्व से अपीलांट के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि चली आ रही है। अपीलांट के पिता के नाम से सवंत् 2005 से रिकार्डेड चली आ रही थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा अमलामाल से मिलकर उक्त इन्द्राज को हटाकर वादगत् भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली गई। अपीलांट द्वारा उक्त इन्द्राज को हटाकर वादगत् भूमि की धोषणा का वाद अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त वाद दिनांक 16—09—2011 को जरिये अबेटमेंट खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि चूंकि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलांट/ रेस्पोडेन्ट के वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हक व हकूक नियमानुसार वाद में तनकीयात् कायम करते हुए व उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तय होने है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज

करते हुए विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तों को ताक पर रखते हुए अपीलांट का वाद जरिये अबेटमेंट खारिज किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों व विधि के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता को नोटिस भेजे गये थे जिस पर तामील भी हा चुकी थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता भी अदालत मातहत के समक्ष हाजिर थे। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने मुवकिल के फौत की सूचना अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलांट/वादी द्वारा रेस्पोडेन्ट के अबेटमेंट प्रार्थना पत्र से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का वाद जरिये अबेटमेंट खारिज करने में भंयकर कानूनी भूल कारित की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अबेटमेंट प्रार्थना पत्र वाद में बिना विधिक रूप से पक्षकार बनाये ही उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो विधि अनुरूप नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार में ही नहीं था। इसके बावजूद उक्त प्रार्थना पत्र को आधार मानकर वादी का वाद खारिज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से काबिले खारिज आदेश है।

अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बिना विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लिये अर्थात उन्हें वाद में कन्टेस्ट करने की लोकस स्टेण्डाई ही प्राप्त नहीं थी, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ही विधि सम्मत नहीं था। यदि उक्त प्रार्थना पत्र को विधि सम्मत मान भी लिया जावे तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर माना जायेगा व ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादी का वाद जरिये अबेटमेंट खारिज किया जाना विधि विरूद्व था।

अदालत मातहत द्वारा विधि के सुस्थापित कानूनों को ताक पर रखकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत के समक्ष

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा बिना विधिक अधिकार के बहस की गई थी। क्योंकि जब तक विधिक प्रतिनिधि रिकार्ड पर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति भी विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों को चस्पा नहीं मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। उन्होंने आगे बताया कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर अर्थात मामलें में नियमानुसार तनकीयात कायम करते हुए व उभय पक्षों की साक्ष्यों के आधार पर निस्तारण किया जाना हो वहॉ प्रकरण को तकनीकी बिन्दु पर निस्तारित किये जाने के स्थान पर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो निरस्त योग्य आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2007 पार्ट II पेज 742, आरआरटी 2011 पार्ट I पेज 707, आरआरटी 2010 पार्ट I पेज 167, आरआरडी 1975 पेज 319, आरएलडब्ल्यू पार्ट II राजे 971, सीसीसी 2006 पार्ट III पेज 416, सीसीसी 2012 पार्ट I पेज 146, आरआरडी 2007 पेज 88 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सोहनलाल का देहान्त दिनांक 18—06—2008 को हो गया था। सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पक्षकार की मृत्यु के 90 दिन की अवधि के भीतर—भीतर उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना कानूनन अपरिहार्य है।

इस प्रकार रेस्पोडेन्ट की मृत्यू दिनांक 18—06—2008 के उपरान्त 90 दिवस दिनांक 16—09—2008 को पूर्ण हो जाते है। अपीलांट द्वारा उपरोक्त निर्धारित अवधि में न तेा मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का

कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में मृतक के वारिसान को निर्धारित अवधि अर्थात 90 दिवस के भीतर—भीतर रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः ही अबेट हो जाता है। उक्त प्रावधान सीपीसी में स्वमेव निर्धारित किये गये है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आगे बताया गया कि वादी/अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादी सोहनलाल के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 12—12—2008 को प्रस्तुत किया गया था जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र था। उक्त प्रार्थना पत्र करीब 6 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वादी द्वारा जो प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उसके समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना शपथ पत्र के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेवेन्यू कोर्ट मेनुअल पार्ट द्वितीय के नियम 33(7) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है तथा बिना शपथ पत्र के वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रतिवादी के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता।

इसके साथ ही विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी सोहनलाल की मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं की गई है। जबकि रेवेन्यू कोर्ट मेनूअल के नियम 44 के तहत मृत्यु की दिनांक अंकित किया जाना अपरिहार्य है। वादी द्वारा अदालत मातहत को गुमराह करने की नियत मात्र से जानबूझ की मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं की गई है। इसलिय भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य था। अदालत मातहत के समक्ष वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से मियांद बाहर था फिर भी वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मियांद को कण्डोन किये जाने का कोई प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना मियांद को कण्डोन किये वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।

कानूनन जहॉ प्रार्थना पत्र मियांद बाहर प्रस्तुत हो और मियांद कण्डोन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो वहॉ भी 90 दिवस के बाद वारिसान को रिकार्ड पर लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती व दावा स्वतः अबेट माना जाता है। वादी ने अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद जो स्वतः ही अबेट हो चुका था को निरस्त करने हेतु पृथक से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जहॉ पक्षकार अपने वाद के प्रति जागरूक नहीं है वहॉ न्याय उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। न्याय का यह सिद्वान्त है कि जहॉ किसी पक्षकार के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया हो वहॉ अपील स्वतः ही अबेट हो जाती है।

इस प्रकार यह बिन्दु अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि जब पक्षकारों के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र नियमानुसार 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अपील स्वतः अबेट हो जाती है। इसके लिए अलग से आदेश प्रसारित करने की भी आवश्यकता नहीं है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2003 पार्ट II पेज 802, आरआरडी 2004 पार्ट II पेज 795, आरआरडी 2001 पार्ट II पेज 877, एआईआर 1983 एससी पेज 676, आरबीजे 2010 पेज 628 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष खेत खसरा नम्बर 951 तादादी 9.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 952 तादादी 0.38 हेक्टर, कुल तादादी 10.33 हेक्टर वाके रोही जांगलू के बाबत् धोषणा एवं चिर निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त वाद

दिनांक 16—09—2011 को जरिये अबेटमेंट खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। है।

(2) प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट सोहनलाल दिनांक 18—06—2008 को फौत हो चुकी था। **अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् कायम मुकान बनाये जाने का न्यायालय के समक्ष दिनांक 12—12—2008 को प्रस्तुत किया गया है जोकि करीब 06 माह उपरान्त पेश है।** जबकि वादी/अपीलांट का यह दायित्व था कि वह न्यायालय हाजा के समक्ष निर्धारित समयावधि में स्वयं प्रार्थना पत्र के साथ इस आश्य की सूचना प्रेषित करता। वादी/अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रतिवादी की मृत्यु के उपरान्त 90 दिवस के भीतर—भीतर कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र के साथ वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना अपरिहार्य है। जबकि अपीलांट की मृत्यु के करीब छहः माह उपरान्त उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय क समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्टः मियांद बाहर पेश है।

(4) इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। जिसक अवलोकन मात्र से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी द्वारा दिनांक 10—07—2008 को प्रतिवादी के फौत की सूचना अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी तथा वारिसान की सूची प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया था। तत्पश्चात् करीब 10 पेशियों तक अर्थात 14—08—2008 से 05—12—2008 तक वारिसान की सूचना हेतु समय चाहा जाता रहा है व तत्पश्चात् दिनांक 12—12—2008 को प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत भी अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकार की मृत्यु के 90 दिवस के भीतर–भीतर वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। जैसा कि प्रकरण में वादी/अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। वादी/अपीलांट अपने कृत्य के प्रति लापरवाह रहे है।

(5) **इस संबंध में सीपीसी के आदेश 22** नियम 4 में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि L.R's-Bringing on record, Abatement is automatic when application for bringing on record L.R's is not filed within prescribed period and no specific order of the Court is required in this respect-Thereafter , the remedy availables is that application U.O.22 R.9 CPC is filed within the prescribed period with the prayer that the abatement may be set aside and for that sufficient cause is also required to be shown.

(6) विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरबीजे 2010 एससी पेज 628 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–

Code of Civil Procedure, 1980 - Order 22 Rule 9 - when after the death of appellant plaintiff no application was filed for bringig the LR's of the appellant on record - Delay is of 778 days - Abatment is automatic and no specific order is required. मामलें में पूर्णतया चस्पा होती है।

उपरोक्त नजीर व विवेचन के प्रकाश में वादी/अपीलांट का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के तहत खारिज करने में अदालत मातहत द्वारा कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है। अतः अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–09–2011 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 3.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर